दिनांक	आज्ञा पत्र
16.7.18	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र धारा-96 सीपीसी हेतु पेश:- विद्वान वकील प्रार्थी ने बहस प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थना पत्र धारा-96 सीपीसी अपील पेश करने की अनुमति के लिये पेश किया गया था । मेरी अपील दर्ज कर ली गई । अब अपील दर्ज होने के बाद यह नहीं कहा जा सकता कि अपील पेश करने का अधिकार अपीलान्ट को नहीं है।अब इस अपील का निर्णय गुणावगुण पर ही किया जावेगा जैसा आरआरडी 1998 पेज 367, आरआरडी 1992 पेज-388 में स्पष्ट किया गया है ।अपीलान्ट विवादित आराजी के संपरिवर्तन आदेश के समय भी शिकायतकर्त्ता रहा है ।संपरिवर्तित आराजी से महज 3 किलोमीटर पर नाथूराम शिकायतकर्त्ता का पेट्रोल पम्प है । यदि मात्र 3 किलोमीटर दूरी पर ही एक और पेट्रोल पम्प कायम किया जाता है तो अपीलान्ट को भारी आर्थिक नुकशान होगा । जिससे अपीलान्ट के हक अधिकार प्रभावित होंगे ।इस कारण अपीलान्ट ने यह अपील पेश की। अपील दर्ज कर ली गई है । प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील का निर्णय मैरिट पर किया जाना चाहिये । अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जावे ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विद्वान वकील अप्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट ने बहस में कथन किया कि अपील इस शर्त पर दर्ज की गई थी कि धारा-96 सीपीसी के बिन्दू को रिजर्व रखा गया है । इसका मतलब यह नहीं है कि अपील पेश करने की अनुमति दी है। इस बिन्दू पर तो दोनो पक्षों को सुनकर ही निर्णय किया जावेगा कि क्या अपीलान्ट हितबद्ध पक्षकार है अथवा नहीं । अपीलान्ट न तो विवादित आराजी का सहखातेदार है और न ही इस आराजी पर इसका कभी कब्जा रहा है । इस आराजी का संपरिवर्तन आदेश विहित प्राधिकारी (जिला कलक्टर सीकर) ने सभी तथ्यों पर मनन करने

भू प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

के बाद आदेश पारित किया है ।अपीलान्ट ने शिकायत की है। जिसका निस्तारण कर संपरिवर्तन आदेश पारित किया है ।अपीलान्ट का विवादित आराजी कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है ।अपीलान्ट ने 3 किलोमीटर दूरी पर अपने साझे का पेट्रोल पम्प बताया है किन्तु ऐसा कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किया है ।अपीलान्ट का विवादित आराजी से कोई हित नहीं है न ही विवादित आराजी का अपीलांट सहखातेदार अथवा काबिज नहीं है ।अपील से कोई सहायता अपीलान्ट को नहीं मिल सकती प्रार्थना पत्र धारा-96 सीपीसी खारिज किया जावे ।बहस के समर्थन में आरआरटी 2016(2) पेज 1129, 1192, 1249आर एलडब्लू 2012(2)राज0 पेज 1072, आरआरटी 2012 (2) पेज 741एवं आरएलडब्लू 2012(1)राज0 पेज-583 पेश कर प्रार्थना पत्र खारिज कर अपील खारिज करने का निवेदन किया ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया ।अदालत मातहत ने दिनांक 22-9-2017 को ख0नं0 705/1 रकबा 0.1950 हैक्टर में से 400 वर्गमीटर भूमि अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन की है ।जिसमें सभी तरह के आक्षेपों का निर्णय करते हुये संपरिवर्तन आदेश पारित किया है ।विवादित आराजी का अपीलान्ट न तो सहखातेदार है और ना ही इस आराजी पर अपीलान्ट का कोई कब्जा है अपीलान्ट का तर्क है कि वह इस आराजी से 3 किलोमीटर दूरी पर पेट्रोल पम्प है जिसका साझेदार है। जिससे उन्हें आर्थिक नुकशान होना बताया है किन्तु अपीलांट के साझे का कोई पेट्रोल पम्प हो ऐसा कोई दस्तावेज भी अपीलान्ट ने अपील के साथ पेश नहीं किया है अपीलान्ट विवादित आराजी से किसी भी प्रकार का हित नहीं है अर्थात अपीलान्ट हितबद्ध पक्षकार नहीं है अपील धारा-96 सीपीसी के बिन्दू को रिजर्व रखकर

दिनांक	आज्ञा पत्र	

अर्थात अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा-96 सीपीसी अपील में किसी प्रकार का हित नहीं होने से प्रार्थना पत्र धारा-96 सीपीसी खारिज किया जाकर अपीलांट हितबद्ध पक्षकार नहीं होने से अपील खारिज की जाती है ।पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय सरे इजलास आज सुनाया गया ।

16/7/18

(भंवरलाल महरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर